सं. ओ.वि./एफ.डी./297-83/1146.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. कोपको इन्जिनियरिंग वर्कस, प्लाट नम्बर-246, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी/293-83/1153.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै० मैटलाज इन्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 223, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री चन्द्र पाल तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यानिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:-

क्या श्री चन्द्र पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./पानीपत/89-83/1160.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मे० बन्सी लाल बांसल एण्ड सन्ज, दया नन्द रोड़, पानीपत के श्रमिक श्री सुभाष चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद, को नीचे बिनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं,

क्या श्री सुभाष चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ.वि./पानीपत/75/83/1166.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै० स्वास्तिका व फिनिशिंग मिल्ज, जी.टी. रोड़, पानीपत के श्रमिक श्री राम मूर्ति तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद के न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री राम मूर्ति की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी. एस. चौधरी,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।